घर-घर
औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—एफ 15 ( ) 2017—18 / गोप्र / प्रमुवसं / 5550 / c दिनांकः—04.08.2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम 36 (ख) के अनुसार वर्ष 2017—18 में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक दिनांक 19 जून 2018 को आयोजित हुई। जिसमें श्रीं प्रमेन्द्र सिंह पुत्र धरमेन्द्र सिंह वनपाल के विरूद्ध उप वन संरक्षक, भरतपुर में सी.सी.ए. 17 में जांच विचाराधीन होने के कारण अभिशंषा बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त प्रकरण में उप वन संरक्षक, भरतपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( ) जांच / 2018 / उवसंभ / 4372—76 दिनांक 3.7.2020 जिसके द्वारा श्री प्रमेन्द्र सिंह के विरूद्ध विचाराधीन जांच का निर्णय लिया गया है, में प्रस्तुत उल्लेखित तथ्यों के परिक्षणोपरांत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री प्रमेन्द्र सिंह, वनपाल के प्रकरण में बन्द लिफाफे में रखी गई सिफारिश को दिनांक 29.7.2021 को खोला गया।

अतः निर्णय लिया जाकर श्री प्रमेन्द्र सिंह को वर्ष 2017—18 में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर इन्हे क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के वेतनमान एल—10 (33800—106700) में पदोन्नति के आदेश प्रचलित किए जाकर यह निर्देश दिए जाते हैं कि श्री प्रमेन्द्र सिंह वर्तमान कार्यालय में ही अपनी उपस्थिति देवें। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जावेगें।

श्री प्रमेन्द्र सिंह, वनपाल द्वारा दिनांक 10.8.2021 तक क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर कार्यालय में उपस्थिति नहीं देने पर यह मान लिया जावेगा कि ये पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं एवं इस अवसर को फोरगो (Forgo) मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. डी.एन.पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
राज.जयपुर

क्रमांकः—एफ 15 ( ) 2017—18 / गोप्र / प्रमुवसं / 5551-5556 दिनांकः—04.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाद्य परियोजना, सवाईमाधोपुर।
2. उप वन संरक्षक, वन्यजीव,,भरतपुर ।
3. कार्मिक क्षेत्रीय अनुभाग कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि श्री प्रमेन्द्र सिंह का क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदस्थापन करने के आदेश जारी करावें।
4. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री प्रमेन्द्र सिंह, वनपाल द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, भरतपुर।
6. रक्षी पत्रावली।

(जे.एस.दहिया)
उप वन संरक्षक (प्रस्था. अरा.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर